न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद

पीठासीनः **नीरज कुमार ....**एच०जे०एस० **ID No.U.P1907**)

CNR No.UPFR010047912020

सत्र वाद संख्या-1082/2020

राज्य

बनाम

1- प्रवेश कुमार पुत्र छविनाथ

2- छविनाथ पुत्र हरिदयाल

3- मुन्नी देवी पत्नी छविनाथ

समस्त निवासीगण मोहल्ला पट्टी मदारी देहात**,** थाना कम्पिल**,** जनपद फर्रुखाबाद।

अपराध संख्या-**270/2020**

धारा-**498** ए**, 304** बी भा०दं०सं०

व **4** डी.पी.एक्ट तथा

धारा **302** भा.दं.सं **(304** बी की वैकल्पिक धारा**)**

थाना- कम्पिल**,** जिला फर्रुखाबाद

निर्णय

1– थाना कम्पिल, जिला फर्रूखाबाद की पुलिस/विवेचक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 270/2020 में प्रेषित आरोपपत्र के आधार पर अभियुक्तगण प्रवेश कुमार, छविनाथ व मुन्नी देवी का विचारण धारा 304 बी, 498 ए भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं धारा **302** भा.दं.सं **(304** बी की वैकल्पिक धारा**)** के अन्तर्गत किया गया।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.09.2020 को वादी मुकदमा राजवीर सिंह ने एक लिखित तहरीर थाना कम्पिल, जनपद फर्रुखाबाद में इस आशय की प्रस्तुत की कि "प्रार्थी राजवीर सिंह पुत्र स्व० जागन सिंह ग्राम सिकन्दरपुर कोला थाना कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद का रहने वाला है। प्रार्थी ने अपनी पुत्री अंजली की शादी जुलाई सन 2017 में प्रवेश कुमार पुत्र छविनाथ सिंह निवासी पट्टी मदारी देहात थाना कम्पिल के साथ बडी धूमधाम से की थी। जिसमें अपनी सामर्थ के अनुसार 1.50 हजार रुपये नकद व एक नग हीरो कम्पनी की H.F. Deluxe मोटरसाइकिल तिलक में व शादी में लड़के को एक नग 0.25 ग्राम सोने की अंगूठी व सोने की लर एवं 1 नग सिंगल बेड 1 नग अलमारी 1 नग कूलर 1 नग बडा स्टील का बक्सा व 21 वर्तन व 1 नग लड़की को सोने की झाले के साथ विदा की थी। कुछ दिन अच्छी तरह बीतने के बाद 15 मार्च 2018 को मेरी लड़की से कहा कि तुम अपने पापा से एक लाख रुपये लेकर आओ मैं

Digitally signed by NEERAJ KUMAR
Date: 2026.07.01 16:58:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दुकान रखूँगा तब मेरी बेटी ने मुझसे घर आकर कहा तो मैंने कहा बेटी मुझे तुम्हारी छोटी बहिन की शादी करना है आगे व्यवस्था कर देंगे। इसके पश्चात तो आये दिन प्रवेश कुमार व उसके पिता छविनाथ व देवर दुर्गेश व प्रवेश कुमार की माँ मेरी बेटी को मारने पीटने लगे। दिनांक 10.09.2020 को प्रवेश कुमार का फोन मेरे पास आया और कहा कि या तो पैसों का इन्तजाम करो वरना तुम्हारी लड़की को मार देंगे। मैंने इनके पिता जी छविनाथ एवं माँ से इस वाक्या की शिकायत की तो इन लोगो ने मुझे ही भला बुरा कहा। आज दिनांक 12.09.2020 को सुबह सात बजे प्रवेश कुमार ने फोन किया कि तुम्हारी लड़की मर गयी है आकर देख लो। मैं लगभग 8.00 बजे प्रवेश कुमार के घर पट्टी मदारी देहात पहुंचा तो देखा मेरी लड़की कमरे में मरी पड़ी थी जिसके दोनों हाथों में चोट के निशान थे। मुझे संदेह है कि प्रवेश कुमार व उसके पिता छविनाथ एवं पत्नी मुन्नी व दुर्गेश व दुर्गेश की पत्नी ने मिलकर मेरी बेटी को मार दिया है। रिपोर्ट अंकित कर कानूनी कार्यवाही कर न्याय दिलाने की कृपा करें।

3— वादी की उक्त तहरीर के आधार पर दिनांक 12.09.2020 को थाना कम्पिल में समय 13.48 बजे अभियुक्तगण प्रवेश कुमार, छविनाथ, मुन्नी देवी, दुर्गेश व दुर्गेश की पत्नी के विरूद्ध धारा 304 बी, 498 ए भा०दं०सं० व 3/4 डी.पी. एक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2 थाना कम्पिल में दर्ज की गयी जिसका इन्द्राज उसी दिन जी०डी० नं 27 पर समय 13.48 बजे किया गया। विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी कायमगंज के सुपुर्द हुयी। मृतका का पंचायतनामा प्रदीप कुमार सिंह तत्कालीन तहसीलदार कायमगंज पी०डब्लू5 द्वारा सम्पादित कराया गया एवं उसके साथ के प्रपत्र तैयार किये एवं शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया।

4— विवेचक/क्षेत्राधिकारी ने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, नकल रपट प्राप्त कर उसकी नकल केस डायरी में एवं चिक एफ०आई०आर० लेखक के बयान अंकित किये एवं वादी के घर पहुँच कर वादी के बयान अंकित किये तथा अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ घटनास्थल पर पहुँच कर वादी मुकदमा की निशानदेही पर नक्शा नजरी घटनास्थल प्रदर्श क–10 तैयार किया। उपनिरीक्षक से मौके पर एक दुपटटा कब्जे में लेकर सील मोहर कर थाने पर दाखिल कराया। जिसकी फर्द की नकल केस डायरी में की। अभियुक्तगण छविनाथ व मुन्नी देवी की गिरफतारी हुयी तब गिरफतारी की नकल प्राप्त कर अवलोकन किया एवं अभियुक्तगण के बयान अंकित किये। मृतका अंजली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की नकल केस डायरी में की एवं पंचायतनामा की नकल करने के बाद पंचायतनामा भरने वाले उपनिरीक्षक व पी०एम० कराने वाले कानिस्टेबल व होमगार्ड के बयान अकिंत किये। अन्य गवाहान के बयान अंकित किये। अभियुक्त प्रवेश को उपनिरीक्षक मंगल सिंह द्वारा गिरफतार किया गया तब उसका बयान विवेचक ने केस डायरी में अंकित किया। विवेचना में दुर्गेश व

गीता की नामजदगी गलत पाते हुए उनके बयान केस डायरी में अंकित किये एवं विवेचना में साक्ष्य संकलन से अभियुक्तगण प्रवेश, छविनाथ व मुन्नी देवी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर उनके विरूद्ध आरोपपत्र प्रदर्श क–12 अन्तर्गत धारा 498A, 304B भा०दं०सं० एवं धारा 3/4 डी०पी० एक्ट में न्यायालय प्रेषित किया।

5– सी.पी. राजन व होमगार्ड सुभाष थाना कम्पिल के द्वारा मृतका श्रीमती अंजली का शव विच्छेदन हेतु पोस्टमार्टम हाउस लाया गया जहां डाक्टर सोमेश अग्निहोत्री ने दिनांक 12.09.2020 को मृतका श्रीमती अंजली के शव का विच्छेदन किया। शव विच्छेदन चिकित्सक ने मृतका के शव पर मृत्यु पूर्व निम्न चोटें पायीं:–

चोट नं० 1–लिगेचर मार्क 22x2cm एक सीध में नहीं। लैरेन्क्स और चिन के बीच में ऊपरी जबड़े की लाइन को मेल खाता हुआ सीधे कान की पिछली तरफ जा रहा था। जिसका बेस हल्के भूरे रंग का था और हल्की लाइनें बनी हुयी थीं। काटने पर निचला हिस्सा पीला था। लिगेचर मैटेरियल मौजूद नहीं था। चोट नं० 2– वांये हाथ की उंगलिया हथेली की तरफ लाल थीं। चोट नं० 3– काले रंग का निशान 3x1.5 cm नितम्ब और जाँघ के बीच में वांयी तरफ मौजूद था। चिकित्सक की राय में मृतका की मृत्यु का कारण सांस रुकने से हुई जो कि मृत्यु पूर्व फांसी पर लटकने के कारण थी।

6– अभियुक्तगण प्रवेश कुमार, छविनाथ व मुन्नी देवी के विरूद्ध प्रेषित आरोपपत्र प्रदर्श क–12 के आधार पर मामले का प्रसंज्ञान विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्रूखाबाद द्वारा दिनांक 04.11.2020 को लिया गया। सत्र परीक्षणीय होने के कारण प्रकरण को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्रूखाबाद द्वारा दिनांक 09.11.2020 को सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया एवं सत्र न्यायालय में अभियुक्तगण प्रवेश कुमार, छविनाथ व मुन्नी देवी के विरुद्ध दिनांक 09.12.2021 को धारा 498ए, 304बी भा०दं०सं० एवं 3/4 डी.पी. एक्ट एवं धारा 304 बी के विकल्प में धारा 302 भा.दं.सं. में आरोप विरचित किये गये। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया एवं विचारण की मांग की।

7– अभियोजन पक्ष की ओर से अपने केस को साबित करने के लिए पी०डब्लू 1 राजवीर, पी०डब्लू 2 गंगा देवी, पी०डब्लू 3 एच.सी.पी. विमलेश सिंह, पी०डब्लू 4 डा० सोमेश अग्निहोत्री, पी०डब्लू 5 प्रदीप कुमार सिंह, उपजिलाधिकारी, पी०डब्लू० 6 राजवीर सिंह गौर, पुलिस उपाधीक्षक को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है।

8– अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत इन साक्षियों द्वारा अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया है जिसके आधार पर प्रदर्श डाले गए जो इस प्रकार हैं कि–

प्रदर्श	विवरण	साक्षी
प्रदर्श क–1	तहरीर वादी मुकदमा	पी.डब्लू. 1 राजवीर
प्रदर्श क–2	चिक एफ.आई.आर.	पी.डब्लू. 3 हे.कानि० 1054 विमलेश
प्रदर्श क–3	जी.डी. कायमी	
प्रदर्श क–4	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	पी.डब्लू. 4 डा० सोमेश अग्निहोत्री
प्रदर्श क–5	पंचायतनामा	पी.डब्लू. 5 उपजिलाधिकारी प्रदीप
प्रदर्श क–6	चिठ्ठी सी.एम.ओ.	
प्रदर्श क–7	चालान नाश पुलिस फार्म 33	
प्रदर्श क–8	चालान नाश	
प्रदर्श क–9	फोटोलाश	
प्रदर्श क–10	नक्शा नजरी	पी.डब्लू. 6 सी.ओ. राजवीर सिंह गौर
प्रदर्श क–11	फर्द दुपट्टा	
प्रदर्श क–12	आरोप पत्र	

वस्तु प्रदर्श	विवरण	साक्षी
वस्तु प्रदर्श–1	शादी का कार्ड 17 बी.	पी.डब्लू. 6 सी.ओ. राजवीर सिंह गौर

9– अभियोजन साक्ष्य के उपरांत अभियुक्तगण के कथन अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक गलत कहा है। वादी मुकदमा व उसकी पत्नी गंगा देवी ने झूठी गवाही दी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है। पी.डब्लू. 5 व पी.डब्लू. 6 के साक्ष्य गलत हैं। उनके विरुद्ध मुकदमा झूठा व गलत चला। वे सफाई साक्ष्य देना चाहते हैं। अतिरिक्त कथन में अभियुक्त प्रवेश ने कहा है कि "उसकी पत्नी की मृत्यु से उसका कोई लेना देना नहीं है। मेरे ससुर राजवीर मेरे घर अंजली को बुलाने आये थे। उस समय अंजली 06 माह की गर्भवती थी इसलिए मैंने उनके साथ मायके नहीं भेजा जिससे नाराज होकर अंजली ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, उस समय मैं घर पर मौजूद नहीं था। मेरे माता पिता मेरे छोटे भाई दुर्गेश व उसकी पत्नी

गीता के साथ अलग मकान में निवास करते हैं। अंजली के पिता ने मुझे व मेरे परिवारवालों के विरुद्ध झूठा मुकदमा किया है। वह निर्दोष है।" अभियुक्तगण छविनाथ व मुन्नी देवी ने अतिरिक्त कथन कर कहा है कि वे अपने छोटे बेटे दुर्गेश व उसकी पत्नी गीता के साथ अलग मकान में निवास कर रहे हैं। उन्होंने अंजली से कभी किसी दहेज की मांग नहीं की, ना कभी उसका शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न किया। वादी ने झूठा मुकदमा लिखाया है। वे निर्दोष हैं।

बचाव पक्ष की तरफ से डी.डब्लू. 1 शशिकान्त व डी.डब्लू. 2 सुनील को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया।

10– अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन किया।

अभियोजन ने बहस करते हुए कहा है कि यह दहेज हत्या का केस है एवं मृतका व उसके मायके वालों से अतिरिक्त दहेज की मांग की गयी है तथा मृत्यु के ठीक पूर्व भी दहेज मांगने का साक्ष्य अभियोजन साक्षियों ने दिया है तथा मृतका की मृत्यु उसकी ससुराल में, अभियुक्तगण भी जहां निवास करते हैं, वहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में दहेज की मांग पूरी न होने के कारण अभियुक्तगण द्वारा की कारित की गयी है तथा मृतका के पिता पी०डब्लू1 वादी एवं मृतका की माता पी०डब्लू2 ने अभियुक्तगण के विरूद्ध पुख्ता साक्ष्य दिया है जिससे अभियक्तगण के विरूद्ध आरोप सन्देह के परे साबित होते हैं। इसलिए अभियुक्तगण को दोष सिद्ध कर कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये।

वहीं बचाव पक्ष के तरफ से तर्क दिया गया है कि अभियोजन साक्ष्य में जो साक्षी प्रस्तुत किये गये हैं उनकी साक्ष्य में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर गम्भीर विरोधाभास व विसंगतियां हैं, जिस कारण किसी भी प्रकार मृतका से उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज की मांग करना साबित नहीं है न ही मृत्यु से ठीक पूर्व उसके साथ क्रूरता की गयी है तथा न ही दहेज की मांग की गयी है बल्कि मृतका द्वारा गर्भवती होने के कारण मायके न जा पाने की कुंठा में आत्महत्या की गयी है। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई आरोप साबित नहीं हुआ है इसलिए अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

11– अभियोजन कथानक के समर्थन में अभियोजन की ओर से बतौर पी०डब्लू 1 राजवीर को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है जिन्होंने वहलफ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मैंने पुत्री अंजली की शादी हिन्दू रीति रिवाज के की थी। पुत्री की शादी प्रवेश कुमार पुत्र छविनाथ सिंह निवासी पट्टी मदारी देहात थाना कम्पिल के साथ दिनांक 02 जुलाई 2017 में अपनी हैसियत अनुसार शादी में नगद डेढ लाख रुपये एक

मोटरसाइकिल एक सोने की चैन एक सोने की अंगूठी, अन्य घरेलू सामान दिया था परन्तु पुत्री अंजली के पति प्रवेश कुमार देवर दुर्गेश ससुर छविनाथ सिंह सास मुन्नी देवी देवरानी गीता देवी अंजली को शादी के लगभग 6–7 माह बाद अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपये की मांग करने लगे। दहेज की मांग को लेकर बेटी के साथ मारपीट व मानसिक व शारीरिक रुप से प्रताड़ित करते थे। अंजली जब मायके आयी तब उसने उपरोक्त सब बातें बताई तो मैंने अपनी पुत्री अंजली को समझाया छोटी बेटी की शादी है उसी शादी करने केबाद तुम्हारी कुछ मदद कर देंगे। बेटी अंजली द्वारा बताने के बाद 15 दिन बाद में अंजली की ससुराल पट्टी मदारी गया था अपने दामाद प्रवेश व उसके भाई दुर्गेश को समझाया परन्तु वो लोग नहीं माने दहेज में एक लाख रुपये दो नहीं तुम्हारी बेटी को मार डालेंगे। मेरे समझाने पर नहीं माने फिर मैं अपने घर चला आया। बेटी की विदा कराने प्रवेश मेरे घर आया था तब एक लाख रुपये के दहेज की मांग कर रहा था मैंने अश्वासन दे दिया था कि दो तीन महीने में व्यवस्था करेगें। दिनांक 12.09.2020 को सुबह 7 बजे दामाद ने सूचना दी की तुम्हारी बेटी अंजली मर गयी है। आकर देख लो मैं व मेरे साथ सुरेश शर्मा व आशाराम चाचा रामप्रसाद मेरी पत्नी गंगादेवी घर परिवार की औरतें साथ गयी थी। सुबह आठ बजे पहुंच गये थे। प्रवेश के घर के अन्दर कमरे में बेड पर बेटी की लाश पडी थी तथा बेटी के ससुराल वाले सब घर से गायब थे फिर मैंने सुरेशचन्द्र से तहरीर लिखवाई थी पढकर सुनायी थी तब मैंने तहरीर पर हस्ताक्षर कर थाने कम्पिल गया था मुकदमा पंजीकृत कराया था रिपोर्ट लिखाने के बाद पुनः अपनी बेटी की ससुराल आया थोडी देर बाद थाना कम्पिल की पुलिस व तहसीलदार मौके पर आ गये थे तहसीलदार साहब ने शव का पंचनामा भरा था लिखा पढी की थी। बेटी का शव सील कराया था। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया था लिखा पढी पर मेरे हस्ताक्षर कराये थे बाद में पता चला कि मेरी बेटी अंजली साढे पाँच मांह की गर्भवती थी। मेरी बेटी की हत्या प्रवेश, छविनाथ, मुन्नी देवी, दुर्गेश और दुर्गेश की पत्नी गीता आदि ने मिलकर अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने के काण मारपीट कर फांसी का फन्दा लगाकर मार डाला। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 5ए तहरीर देखकर साक्षी ने बताया कि यही तहरीर तो मैंने सुरेशचन्द्र से लिखवाई थी जिस पर मेरे हस्ताक्षर बना है जिसे देखकर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि की जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया है। पत्रावली में कागज संख्या 12ए/2 लगायत 12ए/3 देखकर साक्षी ने कहा कि पंचायतनामा पर मेरे हस्ताक्षर बने हुए हैं अपने हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि की। सी.ओ. साहब ने मेरा बयान लिया था। सी.ओ. साहब को घटनास्थल जाकर घटनास्थल का मुआयना कराया था।"

12– पी०डब्लू 2 गंगा देवी को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में वहलफ कथन किया है कि "मैं पढ़ी–

लिखी नहीं हूँ। मेरी पुत्री अंजली की शादी आज से लगभग सात साल पहले प्रवेश पुत्र छविनाथ निवासी ग्राम पट्टी मदारी थाना कम्पिल के साथ हुई थी। मैंने अपनी पुत्री की शादी अपनी हैसियत व सामर्थ्य के अनुसार की थी। शादी में एक मोटरसाइकिल, अलमारी, बक्सा, एक सोने की चेन, एक सोने की अंगूठी, कूलर पंखा व अन्य घरेलू सामान व डेढ़ लाख रुपये नकद दिया था शादी का जो सामान मैंने दिया था उसकी लिस्ट मैंने बनाई थी। वह सामान की लिस्ट मैंने नहीं दी थी लिस्ट मैंने पुलिस को नहीं दी थी। शादी के छह सात माह बाद मेरी बेटी को दान दहेज को लेकर प्रताड़ित करने लगे थे जिसकी सूचना मेरी बेटी ने हम लोगों को मोबाइल पर दी थी कि अतिरिक्त दहेज के लिए एक लाख रुपये माँगने लगे। रुपये प्रवेश, दुर्गेश, गीता, मुन्नी देवी, छविनाथ ने माँगे थे। उसके बाद मेरा बेटा प्रदीप अंजली की ससुराल गया था। वहाँ सभी लोगों को समझाया था। व प्रदीप मेरी बेटी अंजली को घर बुला लाए। ठीक पन्द्रह दिन के बाद लगभग मेरी बेटी अंजली के पति प्रवेश बुलाने के लिए आ गए। और आश्वासन देकर अपनी बेटी प्रवेश के साथ भेज दी। कुछ माह पश्चात् प्रवेश के छोटे भाई दुर्गेश की शादी हुई जिसमें शादी में अच्छा दान–दहेज मिला। उसी दान दहेज को लेकर प्रवेश व प्रवेश के घर वालों के मन में यह बात आई कि अब मुझे भी अतिरिक्त दहेज के रूप में एक लाख रुपये उपरोक्त सभी लोगों ने माँगा। तभी दुर्गेश की पत्नी गीता ने कहा कि अंजली का किस्सा खत्म कर दो या फिर उसको भेज दो। हम अपनी तरफ से अच्छी शादी करवा देंगे। इसके बाद मेरी पुत्री अंजली के साथ काफी मारपीट हुई जिसमें उसके सीधी आँख व गाल में चोट आ गई। मारपीट के बाद मैंने अपने बेटे प्रदीप को अंजली के ससुराल उसको लेने भेजा और घर बुला लाए। उसके कुछ दिन बाद घटना के लगभग दो महीना पहले प्रवेश मेरी पुत्री अंजली को यह कहकर बुला ले गये कि उसकी (प्रवेश की) मौसी मर गई हैं। तब हम लोगों ने अंजली को प्रवेश के साथ ससुराल भेज दिया। मेरी लड़की ससुराल में जब खत्म हुई थी उसकी तारीख मुझे नहीं मालूम है। समय लगभग चार वर्ष हो गये हैं। मैं जब अपनी पुत्री के ससुराल पहुँची थी तब वह मुझे बेड पर मरी पड़ी हुई मिली थी। मेरी बेटी के मरने के तीन दिन पहले मेरी उससे फोन पर बात हुई थी। उसने फोन पर मुझे बताया कि प्रवेश, दुर्गेश, गीता, मुन्नी, छविनाथ मुझे मारते–पीटते हैं। ये लोग मुझे दान दहेज के कारण मारते पीटते हैं। जब मैं अपनी पुत्री के घर गयी तब मेरी पुत्री अंजली मरी हुई मिली थी तब उसकी ससुराल का कोई भी व्यक्ति मौके पर नहीं मिला था। तब थाने पर रिपोर्ट मेरे पति ने की थी। पुलिस मौके पर आई थी। पुलिस मे विवेचना के दौरान मुझसे कोई पूछताछ नहीं की। विवेचना का मतलब मैं नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं पढ़ी–लिखी नहीं हूँ।”

13– पी०डब्लू 3 एच.सी.पी. 1054 विमलेश सिंह को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में वहलफ कथन

किया है कि"दिनांक 12.09.2020 को मैं थाना कम्पिल में हेड कान्सटेबल के पद पर तैनात था। उसी दिन वादी मुकदमा राजवीर सिंह पुत्र जागन सिंह मय हमराह सुरेशचन्द्र पुत्र श्रीकृष्ण निवासी साहबगंज कुंआ खेडा बजीर आलमखान थाना कायमगंज के साथ उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर हिन्दी लिखित दस्तखती खुद बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री अंजली से दहेज की अतिरिक्त मांग करना, मांग पूरी न होने पर अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री अंजली को मार देने का दाखिल किया। दाखिला तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 270/20 धारा 498 ए, 304 बी भा.दं.सं. व ¾ डी.पी. एक्ट बनाम प्रवेश कुमार पुत्र छविनाथ, छविनाथ पुत्र नामालूम, मुन्नी देवी पत्नी छविनाथ, दुर्गेश पुत्र छविनाथ व दुर्गेश की पत्नी, समस्त निवासीगण मोहल्ला पट्टी मदारी देहात, थाना कम्पिल जिला फर्रुखाबाद पंजीकृत कर विवेचना सी.ओ. श्रीमान क्षेत्राधिकारी कायमगंज को पंजीकृत कर वास्ते विवेचना, नकल चिक, नकल रपट डाक द्वारा भेजी गयी। पंचायतनामा की कार्यवाही हेतु श्रीमान उपजिलाधिकारी कायमगंज को सूचना टेलीफोन से दी गयी। वादी को एफ.आई.आर. की एक प्रति देकर थाना हाजा से रुख्सत किया गया। घटना की सूचना उच्चाधिकारियों को दी गयी। थानाध्यक्ष देवेन्द्र कुमार मय उपनिरीक्षक मंगल सिंह, उपनिरीक्षक विजय कुमार मय हमराह कान० रमेश कुमार, रामकुमार, व राजन कुमार व महिला कान० मधू व स्वाति व होमगार्ड सुभाष कुमार के साथ जिल्द पंचायतनामा व अन्य दीगर कागजात लेकर घटनास्थल वास्ते पंचायतनामा कार्यवाही व अन्य सहयोग हेतु घटनास्थल रवाना हुए। चिक एफ.आई.आर.च मैंने तहरीर के आधार पर शब्द व शब्द बोलकर कम्प्यूटर पर टाइप करायी थी। पत्रावली में कागज संख्या 4 ए/1 लगायत 4 ए/2 चिक एफ.आई.आर. है जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया है। उपरोक्त मुकदमे की कायमी जी.डी. उस दिन जी.डी. रपट नं 27 समय 13.48 बजे मेरे द्वारा बोल–बोलकर कम्प्यूटर पर टाइप करायी गयी जो पत्रावली में कागज संख्या 6 ए/3 है जो कम्प्यूटरीकृत प्रति है जो मूल के समान है जिसे मैं प्रमाणित करता हूँ। जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ इस पर प्रदर्श क–3 डाला गया है। दौरान विवेचना विवेचक ने मुझसे पूछताछ की थी।"

14– पी०डब्लू 4 डा० सोमेश अग्निहोत्री को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में वहलफ कथन किया है कि मैं दिनांक 12.09.2020 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कमालगंज में बतौर चिकित्साधिकारी तैनात था। उसी दिन मेरी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस फतेहगढ़ में बतौर शव विच्छेदन अधिकारी में थी। मेरे साथ पैनल में डा० अमित अग्रवाल भी नियुक्त थे उसी दिन थाना कम्पिल के पुलिस कर्मचारी राजन व होमगार्ड सुभाष एक शव सील सर्व मोहर शव विच्छेदन हेतु लाया गया जो कि श्रीमती अंजली पत्नी प्रवेश कुमार निवासी ग्राम पट्टी

मदारी थाना कम्पिल जिला फर्रुखाबाद उम्र लगभग 23 वर्ष थी। शव की शिनाख्त शव लाने वाले कर्मचारियों द्वारा की गयी। मेरे द्वारा मृतका के शव का पोस्टमार्टम समय 5.15 पी.एम. पर प्रारम्भ कर 5.50 पी.एम. पर समाप्त किया गया। मृतका के शव पर एक साड़ी एक ब्लाउज एक पेटीकोट, चार बिछिया, दो तोडिया, कान की रिंग पीली धातु एक काँच की चूडियों के टुकड़े मौजूद थे। बाह्य परीक्षण– मृतका औसत कद काठी की थी। आँखे व मुँह बन्द था। ओंठ और नाखून हल्की नीलिमा लिए हुए थे। पी.एम. स्टेनिंग पीछे और डिपेन्डेन्ट पार्ड पर मौजूद थी। शरीर की अकड़न ऊपरी हिस्से से निकल चुकी थी एवं निचले हिस्से पर मौजूद थी। सीधे हाथ की हथेली पीली थी। मृत्यु पूर्व चोटें– लिगेचर मार्क 22x2 cm एक सीध में नहीं। larynx और चिन के बीच में ऊपरी तरफ जबड़े की लाइन को मेल खाता हुआ सीधे कान की पिछली तरफ जा रहा था। जिसका बेस हल्के भूरे रंग का था और हल्की लाइनें बनी हुई थी। काटने पर निचला हिस्सा पीला था। लिगेचर मैटेरियल मौजूद नहीं था। चोट संख्या 02– वांये हाथ की उंगलियां हथेली की तरफ लाल थी। चोट संख्या 03–काले रंग का निशान 3x1.5 buttock और जाँघ के बीच में वांयी तरफ मौजूद था। आन्तरिक परीक्षण– मस्तिष्क और झिल्लियाँ दोनों फेफडे और प्लूरा कन्जेस्टेड था। 2– दिल सीधी तरफ भरा था। 3– पेट में पतला द्रव 40 मि.ली. मौजूद था। 4– स्पलीन और लीवर कन्जेस्टेड थे। 5– गर्भाशय में 24 हफ्ते का गर्भ मौजूद था जिसका लिंग मेल था। राय– मेरी राय में मृत्यु का कारण मृत्यु सांस रुकने से हुई जो कि मृत्यु पूर्व फांसी पर लटकने के कारण थी। मृतका की मृत्यु पोस्टमार्टम करने के समय से ¾ दिन पूर्व होना सम्भव है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम करने के पश्चात मय दीगर प्रपत्रों के शव लाने वाले कर्मचारियों के सुपुर्द किया। पी.एम. रिपोर्ट मैंने अपने हस्तलेख में तैयार की थी तथा उस पर मेरे साथ तैनात डाक्टर अमित अग्रवाल से सहमति लेकर उनके हस्ताक्षर कराकर अपने हस्ताक्षर किये थे जो पत्रावली में कागज संख्या 11 ए है। जिसकी मैं पहचाना व पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया।

15– पी०डब्लू 5 साक्षी प्रदीप कुमार सिंह, उपजिलाधिकारी को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में वहलफ कथन किया है कि "दिनांक 12.09.2020 को तहसील कायमगंज में तहसीलदार के पद पर तैनात था। उसी दिन थाना कम्पिल द्वारा उपजिलाधिकारी कायमगंज से दूरभाष के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर मोहल्ला पट्टी मदारी थाना कम्पिल पंचायतनामा कार्यवाही हेतु पहुंचा तो वहां पर कम्पिल थाना के एस.आई. विजर सिंह व महिला कान० मधू व स्वाती के साथ मौजूद मिले। मेरे द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। मृतका के शव के पास काफी भीड़भाड़ थी तथा मायके वाले भी मौजूद थे, जिन्हें सांत्वना देकर भीड़ में से पंच नियुक्त कर उनके कर्तव्य बताकर महिला कानिस्टेवल मधू व स्वाती

से कराया गया। मृतका का शव मकान के आंगन में चटाई के ऊपर चित्त अवस्था में रखा था। मृतका की नाक में एक पीली धातु की कील, दोनों पैरों मे सफेद धातु की पायल तथा पैरों की अंगुलियों में बिछिया पहने हुए थी तथा हाथ में एक चूड़ी थी। मेरे द्वारा मौके पर मौजूद थाना कम्पिल के एस०आई० मंगल सिंह ने पंचायतनामा की कार्यवाही मेरे द्वारा बोलने पर लिखी थी तथा महिला के शव पर गर्दन में हल्का सा निशान तथा हाथों की हथेली मे सूजन सी दिखायी दे रही थी। मौजूद पंचो में से एक पंच से राय लिखवाकर, सभी पंचों के हस्ताक्षर करवाकर मैंने अपनी राय अपने हस्तलेख में लिखी थी। पंचायतनामा पर मैंने हस्ताक्षर किये थे। मृतका के शव को एक किट में रखकर सील सर्व मोहर नमूना मोहर तैयार करवाकर वास्ते पोस्टमार्टम कानि०राजन सिंह व होमगार्ड सुभाष के सुपुर्द मय दीगर प्रपत्रों के साथ किया था। पंचायतनामा व अन्य दीगर प्रपत्र एस०आई०मंगल सिंह द्वारा मेरे निर्देशन में तैयार किये गये थे जिस पर मैंने हस्ताक्षर किए थे, जो पत्रावली में का०स० 12ए/2 लगायत 12ए/3 पंचायतनामा है व 12ए/4 चिट्ठी सी०एम०ओ० है व 12ए/5 चालान नाश पुलिस फार्म–33 है व 12ए/6 चालान नाश तथा 12ए/7 फोटो लाश है, जिन पर क्रमशः प्रदर्श क–5, प्रदर्श क–6, प्रदर्श क–7, प्रदर्श क–8 व प्रदर्श क–9 डाले गये।"

16– पी०डब्लू 6 राजवीर सिंह गौर, पुलिस उपाधीक्षक को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में वहलफ कथन किया है कि "दिनांक 12.09.2020 को मेरी तैनाती क्षेत्राधिकारी कायमगंज के पद पर था। उसी दिन जरिए दूरभाष थाना कम्पिल से सूचना प्राप्त हुई। मुकदमा अपराध संख्या 270/20 धारा 304बी, 498ए भा.दं.सं. व 3/4 डी.पी. एक्ट बनाम प्रवेश कुमार आदि की विवेचना मुझे आवण्टित हुई जिसकी सूचना पर थाना कम्पिल जाकर नकल चिक, नकल रपट प्राप्त कर विवेचना ग्रहण की। उसी दिन सी.डी. पर्चा 1 में नकल चिक व नकल रपट की नकल अंकित कर थाना कार्यलय में मौजूद एफ.आई.आर. लेखक हे० कान० मिथलेश कुमार के बयान अंकित किये। इसके पश्चात थाना कार्यालय से रवाना होकर वादी मुकदमा के घर ग्राम पट्टी मदारी जाकर वादी से पूछताछ कर वादी राजवीर सिंह के बयान अंकित किये। तत्पश्चात वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी मौके पर ही मेरे द्वारा तैयार कराया गया जिस पर मैंने हस्ताक्षर किये थे जो पत्रावली में कागज संख्या 8ए है जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ इस पर प्रदर्श क–10 डाला गया। सी.डी. पर्चा 2 दिनांक 13.09.2020 को किता की जिसमें मृतका अंजली के शव की पी.एम. रिपोर्ट की कार्बन प्रति थाना कार्यालय से प्राप्त हुई जिसका अवलोकन कर संलग्न सी.डी. किया। मृतका की फांसी जिस दुपट्टे व साडी से फांसी लगना बताया गया उसे घटनास्थल से तलाश कर उपनिरीक्षक मंगल सिंह व उ.निरीक्षक विजय सिंह के मेरे निर्देश

पर रवाना कर कब्जे में लेकर दाखिल किया गया। मेरे निर्देश के अनुपालन में उपनिरीक्षक मंगल सिंह के द्वारा घटनास्थल से एक दुपट्टा कब्जे में लेकर सील सर्व मोहर कर थाना लाकर दाखिल किया गया जिसकी फर्द मुझे प्राप्त हुई जिसका अवलोकन कर नकल अंकित की जो पत्रावली में 9ए/1 है जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ इस पर प्रदर्श क–11 डाला गया है। सी.डी. पर्चा 3 दिनांक 14.09.2020 को किता किया जिसमें थाना कम्पिल से दूरभाष से सूचना प्राप्त हुई कि अभियोग से सम्बन्धित वाछित अभियुक्त छविनाथ व मुन्नी देवी के गिरफ्तार किया गया जिसकी सूचना पर थाना कम्पिल जाकर गिरफ्तारी की नकल प्राप्त की, अवलोकन किया तथा अभियुक्तगण छविनाथ व मुन्नी देवी के बयान अंकित किये। सी.डी. 4 दिनांक 16.09.2020 को किता कि जिसमें अभियोग से सम्बन्धित मृतका श्रीमती अंजली की मूल पी.एम. रिपोर्ट व पंचायतनामा रिपोर्ट प्राप्त की जिसका अवलोकन कर नकल अंकित की। इसके पश्चात थाना कम्पिल जाकर पंचायतनामा भरने वाले उपनिरीक्षक मंगल सिंह व शव का पी.एम. कराने वाले कान० राजन कुमार व होमगार्ड सुभाष से पूछताछ कर बयान अंकित किये। इसके पश्चात तहसील कायमगजं जाकर तहसील परिसर में मौजूद तहसीलदार प्रदीप कुमार के बयान अंकित किये। सी.डी. पर्चा 5 दिनांक 21.09.2021 में वादी राजवीर सिंह अपने साथ अपने भाई लज्ञाराम पत्नी गंगादेवी चाचा रामप्रसाद चचेरे भाई अतर सिंह के साथ बयान हेतु उपस्थित हुआ तथा वादी मुकदमा अपने साथ मृतका अंजली की शादी के कार्ड का कवर प्रस्तुत किया और कहा कि पूरा कार्ड नहीं मिल पाया है शादी कार्ड के कवर का अवलोकन किया गया जिसमें शादी के कार्ड पर अंजली परिणय प्रवेश शुभ विवाह सोमवार 11 दिसम्बर 2017 अंकित है कार्ड को संलग्न सी.डी. किया जो पत्रावली में कागज संख्या 17 बी है जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ इस पर वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया है तथा वादी मुकदमा से मजीद पूछताछ कर बयान अंकितकिये तथा वादी की पत्नी श्रीमती गंगा देवी व पुत्र प्रदीप व वादी के भाई लज्ञाराम तथा वादी के चचेरे भाई अतर सिंह व चाचा रामप्रसाद के बयान अंकित किये। सी.डी. 6 दिनांक 25.09.2020 को किता की जिसमें दूरभाष से सूचना प्राप्त हुई कि अभियोग में बांछित अभियुक्त प्रवेश को उपनिरीक्षक मंगल सिंह द्वारा गिरफ्तार कर थाना दाखिल किया गया सूचना पर थाना कम्पिल जाकर गिरफ्तारी की नकल रपट प्राप्त कर अवलोकन कर संलग्न सी.डी किया तथा थाना कार्यालय में मौजूद अभियुक्त प्रवेश के बयान अंकित किये। सीडी. 7 दिनांक 28.09.2020 अभियुक्तगण की रिमाण्ड सम्बन्धित है। सी.डी 8 दिनांक 30.09.2020 को किता की जिसमें वादी के चचेरे भाई/पंचायतनामा साक्षी आशाराम, दीपचन्द्र, मनोज के बयान अंकित किये तथा फर्द के गवाह श्यामपाल के बयान अंकित किये। तत्पश्चात मृतका के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर सोमेश अग्निहोत्री व अमित अग्रवाल के बयान अंकित किये। सी.डी. 9 दिनांक 01.10.2020 को

किता की जिसमें अभियोग से सम्बन्धित घटना के सम्बन्ध में ग्राम वासी पट्टी मदारी थाना कम्पिल के नेकसे लाल पुत्र श्रीराम, ज्ञान सिंह पुत्र राजाराम, दुलारे पुत्र पंजाबी, सुनील व विक्रम पुत्रगण रमेश पिन्टू कुमार पुत्र रामलडैते, अरविन्द कुमार पुत्र श्रीराम वर्मा, शशिकान्त पुत्र सोमनाथ , मुकेश कुमार पुत्र दुलारे के शपथ पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय के शिकायत प्रकोष्ठ के माध्य से प्राप्त हुए जिनका अवलोकन कर संलग्न सी.डी. किया। सी.डी. 10 दिनांक 03.10.2020 को किता की जिसमें बयान शपथकर्ता तस्दीक शपथ पत्र के बयान अंकित किये। सी.डी. 11 दिनांक 04.10.2020 को किता की जिसमें ग्रामवासियों से अलग–अलग पूछताछ की जिसमें स्वतंत्र साक्षी वीरेन्द्र सिंह राजपूत, रामू, देवेन्द्र, राजकरन, अमित कुमार, रामविलास के बयान अंकित किये। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य से आरोपी दुर्गेश कुमार व उसकी पत्नी गीता दूसरे मकान में रहते थे इस प्रकार सम्पूर्ण साक्ष्य से दुर्गेश व गीता की नामजदगी गलत पायी गयी जिनके नाम विवेचना से पृथक कर नामित अभियुक्त दुर्गेश व गीता को तलब कर बयान अंकित किये। दौरान विवेचना बयान वादी, बयान गवाहन, निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन पी.एम. रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य संकलन से अभियुक्तगण प्रवेश कुमार पुत्र छविनाथ, छविनाथ पुत्र हरदयाल व मुन्नी देवी पत्नी छविनाथ के विरुद्ध जुर्म धारा 498 ए, 304 बी भा.दं.सं व 3/4 डी.पी. एक्ट का अपराध बखूबी साबित होने पर आरोप पत्र संख्या 236/20 दिनांक 04.10.2020 को चालान माननीय न्यायालय किया गया। आरोप पत्र मैंने सी.सी.टी.एन.एस. पर टाइप कराकर अपने हस्ताक्षर किये थे जो पत्रावली में कागज संख्या 3 ए/1 लगायत 3 ए/5 है जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ इस पर प्रदर्श क–12 डाला गया है।"

17–बचाव साक्ष्य–बचाव पक्ष की तरफ से सफाई साक्ष्य में साक्षी डी.डब्लू. 1 शशिकान्त को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया जिसने बहलफ मुख्य परीक्षा में कहा है कि "मेरा मकान प्रवेश के मकान से लगभग 50 मीटर की दूरी पर है। मेरा प्रवेश के घर पर निरन्तर आना जाना रहता है। प्रवेश व उनके पिता छविनाथ व माता मुन्नी देवी निहायत ही सीधे साधे व्यक्ति हैं। प्रवेश व अंजली की शादी 10.12.2017 को हिन्दू रीति रिवाज से सम्पन्न हुई थी। इस शादी में मैं मय परिवार के सम्मिलित हुआ था। प्रवेश तथा उनके माता–पिता द्वारा कभी भी अंजली को अतिरिक्त दहेज के कारण प्रताड़ित नहीं किया गया और न ही अंजली का कभी भी शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न किया गया। दिनांक 10.09.2020 को अंजली के पिता अंजली को बुलाने पट्टी मदारी थाना कम्पिल जनपद फर्रुखाबाद आये थे उस समय अंजली गर्भवती थी इसलिए प्रवेश ने अंजली को उसके पिता के साथ मायके नहीं भेजा था जिसके कारण अंजली ने दिनांक 12.09.2020 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिस समय अंजली ने आत्महत्या की उस समय प्रवेश

घर पर मौजूद नहीं था। मेरे द्वारा फोन करके प्रवेश को सूचना दी गयी थी जबकि प्रवेश के माता पिता अपने दूसरे मकान जो प्रवेश के मकान से दक्षिण दिशा में 500–600 मीटर की दूरी पर स्थित है। उस मकान में अपने छोटे बेटे दुर्गेश व उसकी पत्नी गीता के साथ निवास करते हैं। प्रवेश के माता पिता वर्ष 2019 से अपने छोटे बेटे दुर्गेश के साथ अलग मकान में निवास करते हैं। अंजली की मृत्यु से प्रवेश व उनके परिवारीजन का कोई हाथ नहीं है। मैंने पड़ोस में रहते हुए कभी भी अंजली व प्रवेश के मध्य लड़ाई झगडे को नहीं सुना है और न ही मैंने प्रवेश व उनके परिवारीजन द्वारा अंजली को दहेज को लेकर प्रताडित करते कभी देखा। प्रवेश ने सारी सुख सुविधाओं के साथ बतौर पत्नी रखा। अंजली की मृत्यु की सूचना मैंने थाना पुलिस को दी थी। मेरी सूचना पर पुलिस मौके पर आयी थी।"

18– बचाव पक्ष की तरफ से सफाई साक्ष्य में साक्षी डी.डब्लू. 2 सुनील को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया जिसने बहलफ मुख्य परीक्षा में कहा है कि "मेरा मकान प्रवेश के मकान के सामने है मेरा प्रवेश के घर निरन्तर आना जाना रहता है। प्रवेश व उनके पिता छविनाथ व माता मुन्नी देवी निहायत ही सीधे सादे व्यक्ति हैं। प्रवेश की अंजली के साथ शादी 10.12.2017 को हिन्दू रीति रिवाज से सम्पन्न हुई थी। इस शादी में मैं अपने परिवार के साथ सम्मिलित हुआ था। प्रवेश तथा उनके माता पिता द्वारा कभी भी अंजली से अतिरिक्त दहेज के कारण प्रताड़ित नहीं किया गया न ही कभी अंजली का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न किया गया। दिनांक 10.09.2020 को अंजली के पिता राजवीर सिंह अंजली के बुलाने ग्राम पट्टी मदारी कम्पिल आये थे। उस समय अंजली गर्भवती थी इसलिए प्रवेश ने अंजली को उसके साथ मायके नहीं भेजा था इससे क्षुब्ध होकर अंजली ने 12.09.2020 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी जिस समय अंजली ने आत्महत्या की उस समय प्रवेश घर पर मौजूद नहीं थे। गाँव के प्रधान के द्वारा प्रवेश को सूचना दी गयी थी। प्रवेश के पिता छविनाथ व माता मुन्नी देवी अपने दूसरे मकान जो कि प्रवेश के मकान से दक्षिण दिशा में 500–600 मीटरी दूरी पर स्थित है उस मकान में अपने छोटे बेटे दुर्गेश व उसकी पत्नी गीता के साथ निवास करते हैं। प्रवेश के माता पिता सन 2019 से अपने छोटे बेटे दुर्गेश के साथ अलग रहकर निवास करते हैं। अंजली की मृत्यु से प्रवेश व उनके परिवारीजन का कोई भी ताल्लुक व वास्ता नहीं है। मैंने पड़ोस में रहते हुए कभी भी अंजली व प्रवेश के मध्य लड़ाई झगड़ा होते नहीं देखा, न सुना था और न ही मैंने प्रवेश व उनके परिवारीजन द्वारा दहेज को लेकर अंजली को प्रताड़ित करते देखा व सुना।

19– उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में अभियोजन ने तथ्य एवं पुलिस व चिकित्सक मिलाकर कुल 6 साक्षी प्रस्तुत किये हैं जिनमें

से तथ्य के दो साक्षी मृतका के माता पिता हैं। अतः अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण साक्ष्य का गहनता से परिशीलन किया।

20–प्रथम सूचना रिपोर्टः–बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया है कि इस मामले में तथ्य के साक्षियों ने कहा है कि 11.30 बजे रिपोर्ट लिखायी थी लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट में समय 13.48 बजे अंकित है एवं यह भी तर्क दिया गया है कि मृतका का पंचनामा 12–1 बजे के बीच दोपहर में हुआ है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके बाद 13.48 बजे अंकित हुयी है, अतः अभियोजन कथानक सन्देहास्पद है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट एन्टी टाइम है। इस संबंध में पंचायतनामा प्रदर्श क–5 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट का समय 13.40 अंकित है तथा पंचायतनामा आरम्भ करने का समय 14.20 अंकित है जो यह स्पष्ट करता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित होने के उपरांत 14.20 बजे पंचनामा करना आरम्भ किया गया है। तथ्य के दोनों साक्षियों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने का समय 11.30 बताया है। वादी ने अपनी जिरह साक्ष्य में कहा है कि "पंचायतनामा की कार्यवाही आठ बजे के बाद दोपहर में किया गया, दोपहर में ही मेरे दस्तखत पंचायतनामा पर पुलिस द्वारा कराये गये।" आगे यह भी कहा है कि "पुलिस घटनास्थल पर पहुँची उसके बाद इस घटना की रिपोर्ट मैंने दोपहर में लिखायी थी।" प्रतिपरीक्षा में वादी ने यह भी स्वीकार किया है कि "जैसे ही मैंने पुलिस थाना कम्पिल को फोन किया पुलिस वैसे ही आठ बजे के बाद आ गयी। पुलिस घटना स्थल पर अंजली की लाश की देखभाल करती रही, उसके बाद पुलिस वालों ने मुझसे अंजली के घर पर कहा कि रिपोर्ट लिखो। यह भी कहा कि पांच लोगों के नाम रिपोर्ट लिखी जाए। यह बात अंजली के घर पर ही हुयी। जब अंजली के घर पर पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखने को मुझसे कहा तो उस समय मेरे साथ गांव के आशाराम, रामप्रसाद औरबहुत से लोग थे। सभी ने मिलकर सलाह मशविरा किया कि रिपोर्ट लिखायी जाये। राय मशविरा हुआ औरफिर कहा गया कि रिपोर्ट लिखायी जाये।" इस साक्षी की इस साक्ष्य से स्पष्ट है कि यह प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस के कहने पर राय मशविरा करने के बाद वादी ने लिखायी है। आगे वादी ने प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि "यह बात रिपोर्ट में नहीं लिखी कि अंजली को बुलाने गया था और इन लोगों ने नहीं भेजा। यह बात लिखायी थी कि मैं पहले से नाराज रहता हूँ और इस समय भी नाराज चल रहा हूँ........मैंने अपनी रिपोर्ट में यह बात भी नहीं लिखायी थी कि उसकी मृत्यु से पूर्व उसके ससुरालीजन प्रवेश कुमार, छविनाथ, मुन्नी देवी व दुर्गेश एवं गीता कभी उससे दहेज मांगते रहे या दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे या उसको दहेज के लिए परेशान करते रहे........ और न ही इस संबंध में किसी अधिकारी को कोई प्रार्थनापत्र दिया और न ही किसी अधिकारी से शिकायत की। मैंने अपनी रिपोर्ट में यह बात भी नहीं लिखायी थी कि मेरी पुत्री अंजली को उसके ससुराल वाले उससे दहेज न देने पर प्रताड़ित

करते हों और यह भी नहीं लिखाया था कि अंजली ने इस संबंध में मुझसे कभी शिकायत की और यह भी नहीं लिखाया था कि उसका कभी इन लोगों द्वारा कभी उत्पीड़न किया गया। यह तथ्य रिपोर्ट में नहीं लिखाए क्यों नही लिखाए इसकी वजह नहीं बता सकता। इस घटना से पहले ही मेरे दामाद प्रवेश द्वारा शहर कम्पिल में साइकिल बिक्री की दुकान खोल रखी थी जिस पर रहकर वह साइकिल बेचने का काम करता था और घटना के समय भी कर रहा था। प्रवेश की यह साइकिल वाली दुकान अंजली की मौत के बहुत पहले से ही चला रहा था। और घटना के समय भी उसकी दुकान चल रही थी। पुत्री को उसके ससुराली वाले कभी मारते पीटते रहे या उसका उत्पीड़न करते रहे ऐसा मैंने कोई आरोप अभियुक्तगणों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं लिखी।......यह रिपोर्ट मैंने सही व सत्य लिखायी है इस घटना के विषय में मुझे किसी ने आज तक नहीं बतया। कैसे लिखा दिया इसकी वजह नहीं बता सकता।.........अंजली ने मुझे यह कभी नहीं बताया कि उसे किस तारीख व किस सन में अभियुक्तगण तंग करते हैं और दहेज मांगते हैं। इस कारण यह तथ्य मैंने रिपोर्ट में नहीं लिखाया था।" पी०डब्लू2 गंगा देवी ने भी जिरह साक्ष्य में कहा है कि आठ बजे सुबह जैसे ही पहुँचे वैसे ही थाने में पति ने पुलिस को लिख कर दिया था वहीं थाने में बैठकर ही पति ने लिखा था मेरे पति ने थाने पर बैठकर क्या लिखा मैं नहीं बता सकती। इस साक्षी की साक्ष्य से यह साबित होता है कि उक्त तहरीर थाने में बैठकर लिखी गयी। इन दोनों साक्षियों की साक्ष्य से ही स्पष्ट होता है कि वादी ने उपरोक्त तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट/तहरीर में नहीं लिखाये इसलिए तहरीर में जो तथ्य अंकित हैं वह सन्देहास्पद हो जाते हैं।

21– अब यह देखा जाना है कि अंजली की मृत्यु से ठीक पूर्व अभियुक्तगणों द्वारा उससे दहेज की मांग की गयी अथवा उसके साथ क्रूरता की गयी जैसा कि भरतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B प्राविधानित करती है कि यदि ससुराल में महिला की मृत्यु हुयी है और मृत्यु के ठीक पूर्व उसके प्रति क्रूरता की गयी हो और उसके साथ मारपीट की गयी हो तो न्यायालय यह अवधारणा करेगा कि यह दहेज मृत्यु है।

22– इस मामले में दहेज की मांग साबित करना अभियोजन का दायित्व है। इस संबंध में पी०डब्लू1 वादी की सम्पूर्ण साक्ष्य का गम्भीरता से अवलोकन किया। जिरह में वादी पी०डब्लू1 ने कहा है कि "मेरी पुत्री अंजली पढ़ी लिखी नहीं थी। शादी तय करते समय एक लाख रूपया एक अंगूठी एक मोटरसाइकिल एक सोने की चैन तय हुआ था।" आगे प्रतिपरीक्षा में वादी ने यह भी कहा है कि "दस दिन अंजली की विदा अपने घर से प्रवेश कुमार साथ राजी खुशी के माहौल में की, उसके बाद अंजली राजी खुशी के माहौल में आती जाती रही। आखिरी बार अंजली मेरे घर पर मरने से पूर्व पन्द्रह दिन पहले आयी, मेरा लड़का अंजली को बुला कर राजी खुशी के साथ बुलाकर लाया।...........आखिरी बार

अंजली आयी तो सात दिन मेरे घर पर रूकी उसके बाद मेरा दामाद प्रवेश बुला कर ले गया मैंने राजी खुशी के साथ अपनी पुत्री अंजली को प्रवेश के साथ भेजा उसके बाद अंजली दोबारा मेरे घर पर नहीं आयी।" इस साक्ष्य से स्पष्ट साबित होता है कि आखिरी बार भी जब अंजली वादी के घर पर अर्थात अपने मायके आयी तो राजी खुशी के साथ आयी थी एवं राजी खुशी मे ही उसका दामाद उसकी पुत्री को बुलाकर ले गया था इसमें न तो दहेज मांगने वाली बात सामने आयी है एवं न ही मारपीट या प्रताड़ना का संकेत मिलता है। आगे जिरह में वादी ने यह भी कहा है कि "घटनास्थल पटटी मदारी कम्पिल में है थाना कम्पल से 500 मीटर दूरी पर स्थित है मैं तीन साढ़े तीन घंटे बाद थाने पर रिपोर्ट लिखाने गया था। घटना से मैं रोता विलखता रहा जब होश आया तो थाने पर रिपोर्ट लिखाने गया घटना स्थल पर मैं खुद देखा तब मैंने रिपोर्ट लिखायी। मृतका की चूड़ियां टूटी हुयी थीं। छत पर चारपायी पर चूड़ियां टूटी हुयी थी और कुछ नहीं मिला। छत पर चूड़ियां मिलने की बात मैंने रिपोर्ट में नहीं लिखी। टूटी चूड़ियां मिलने पर मैं यह समझ गया कि इन लोगों ने मृतका की हत्या की। पुलिस वालों को मैंने चूड़ियां टूटने की बात बतायी थी दिखायी भी थीं।" इस साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि मात्र टूटी चूड़ियां मिलने से ही वादी ने यह समझा कि उसकी पुत्री की हत्या की गयी है। आगे जिरह में कई बार वादी ने यह स्वीकार किया है कि उसको उसके दामाद प्रवेश ने मोबाइल से सूचना दी थी कि आपकी अंजली मर गयी है। आगे जिरह में वादी ने यह भी कहा है कि "उस दिन मौके पर मौजूद किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं बताया कि अंजली की मौत कैसे हुयी और न मैंने जानकारी करने की कोई कोशिश की।" जिरह में वादी ने यह भी कहा है कि "अगर नेकसेलाल ने अपने शपथपत्र में यह बात लिखी है कि अभियुक्त दुर्गेश की शादी इस घटना से पांच माह पहले गीता के साथ हुयी, तो यह बात सही लिखी है।...........उसके बाद फिर अंजली से मिलने गया या नहीं ध्यान नहीं। अंजली से अंजली की मृत्यु से करीब पन्द्रह दिन पूर्व आखिरी बार मिला था जब वह मेरे घर से अपनी ससुराल गयी थी। यह बिल्कुल ध्यान नहीं है कि अंजली मृत्यु के कितने दिन पूर्व मेरे घर पर आयी थी। यह भी ध्यान नहीं कि आने के कितने दिन रूकी थी। यह भी ध्यान नहीं कि कौन बुलाकर लाया था। मुझे यह भी ध्यान नहीं कि अंजली का पति प्रवेश लेकर आया था या नहीं। मेरे घर से अंजली को प्रवेश शाम को विदा करा कर ले गया था। उसके बाद अंजली मेरे घर पर कभी नहीं आयी। प्रवेश मोटरसाइकिल से लिवा ले गया था।" इस साक्ष्य से भी स्पष्ट होता है कि जब आखिरी बार अभियुक्त प्रवेश वादी की पुत्री को विदा करा कर ले गया तब भी दहेज मांगने का कोई तथ्य अथवा उसके संबंध में कहासुनी होना वादी की साक्ष्य में नहीं आया है। आगे जिरह में वादी ने यह स्वीकार किया है कि अंजली अधिकतर मायके में रही ससुराल में कम रही जब तक मायके या ससुराल में रही तब तक किसी अधिकारी से यह शिकायत करने नहीं गया कि प्रवेश या उसके घर

वाले एक लाख रूपया की मांग करते हैं। आज तक इस संबंध में कोई रिपोर्ट किसी थाने में नहीं की। इस साक्ष्य से यह साबित होता है कि मृतका का झुकाव अपने मायके के प्रति ज्यादा था इसीलिए वह ससुराल की अपेक्षा अपने मायके अधिकतर रहती थी। अभियुक्त प्रवेश ने अपने बयान धारा 313 दं०प्र०सं० में यह आधार लिया है कि उसके ससुर राजवीर उसके घर अंजली को बुलाने आये थे उस समय अंजली छह माह की गर्भवती थी इसलिए उनके साथ मायके नहीं भेजा जिससे नाराज हो कर अंजली ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वादी ने जिरह में आगे यह भी कहा है कि "घटना से आखिरी बार कितने दिन पहले प्रवेश से मेरी बात चीत हुयी ध्यान नहीं। प्रवेश से शादी के बाद राजी खुशी से बातचीत होती थी। बाद में बात बिगड़ गयी। किस सन व माह में बिगड़ गयी ध्यान नहीं। शादी के तीन चार साल बाद बात बिगड़ गयी। लड़की की ससुराल में बात बिगड़ गयी। ....गाली गलौज सुनकर बहुत बुरा लगा परन्तु फिर भी हम प्रेम से बोलते रहे। ....इसी बाद विवाद के कारण मेरे व प्रवेश के बीच संबंध अंजली के मरने तक बराबर रहे। यह बात रिपोर्ट में लिखी है कि अंजली के मरने तक हमारे व प्रवेश के बीच संबंध खराब रहे । यह कहना गलत होगा कि यह बात मैं गलत बता रहा हूँ और रिपोर्ट में न लिखी हो। किस तारीख सन व माह में अतिरिक्त दहेज की मांग की गयी, ध्यान नहीं है।" इस साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि यदि कभी अतिरिक्त दहेज की मांग की गयी थी अथवा उसके संबंध में कहासुनी गालीगलौज हुयी हो तो उसकी तिथि, माह अथवा वर्ष वादी को ध्यान हीं नहीं है अथवा अभियुक्त प्रवेश से कब बात बिगड़ गयी उसका भी समय वादी को नहीं मालूम है। इससे इस संभावना को बल मिलता है कि अभियुक्तगण द्वारा किसी प्रकार की दहेज की मांग नहीं की गयी एवं न ही मृतका को प्रताड़ित किया गया न ही मृत्यु पूर्व उससे क्रूरता की गयी बल्कि मृतका की मृत्यु की सूचना सर्वप्रथम अभियुक्त प्रवेश द्वारा ही वादी को दी गयी। वादी ने जिरह में आगे यह भी स्वीकार किया है कि वह मोटरसाइकिल से अकेला अंजली की ससुराल पहुँचा जबकि पी०डब्लू2 जिरह में कह रही है कि अभियुक्त प्रवेश ने सात बजे उसके घर आकर सूचना दी कि अंजली की मौत हो गयी है, आप लोग मेरे साथ चलो। मैं व राजवीर उसके साथ कम्पिल गये। इसी प्रकार के तमाम विरोधाभास वादी एवं पी०डब्लू2 की सम्पूर्ण साक्ष्य में हैं। जिनसे इनकी साक्ष्य सन्देहास्पद भी हो जाती है। आगे जिरह में यह भी कहा है कि मैंने दरोगा जी को बताया था कि अंजली की मृत्यु किस समय किसके द्वारा कैसे हुयी है किसी व्यक्ति ने आज तक नहीं बताया। आगे जिरह में वादी ने यह भी कहा है कि "दुर्गेश से मेरी मुलाकात सन 2020 में हुई। अंजली की मृत्यु होने के चार पाँच महीने पहले हुई थी। जब मैं उससे मिलने गया था तब हुई थी। मेरा दुर्गेश से झगड़ा हुआ था तब उससे मुलाकात हुई थी। यह झगड़ा दुर्गेश के साथ सन् 2020 में हुआ था महीना नहीं बता सकता कब हुआ था। यह झगड़ा दुर्गेश के घर पर हुआ था। दुर्गेश

से जब मेरा झगड़ा हुआ मैं अकेला था। इससे गाली–गलौज हुआ था। दुर्गेश ने मुझसे गाली–गलौज किया यह बात मुझे बुरी लगी। तभी से मैं दुर्गेश से नाराज चल रहा था। यह झगड़ा और गाली गलौज के समय मेरा दामाद प्रवेश भी मौजूद था। उसने भी मुझे गाली गलौज की। प्रवेश ने मुझसे गाली–गलौज किया यह बात भी मुझे बुरी लगी। तब से मैं प्रवेश से भी नाराज चल रहा था। यह गाली–गलौज व झगड़ा जो हुआ था उसकी मैंने कोई रिपोर्ट नहीं की। इसकी शिकायत मैंने दुर्गेश व प्रवेश के खिलाफ दुर्गेश के पिता छविनाथ व उसकी माँ मुन्नी देवी से की। इन दोनों ने मेरे शिकायत करने पर दुर्गेश व प्रवेश को गाली–गलौज करने से नहीं रोका। प्रवेश कुमार व दुर्गेश को गाली–गलौज करने से छविनाथ व मुन्नी देवी ने नहीं रोका यह बात भी मुझे बहुत खराब लगी। तभी से मैं छविनाथ व मुन्नी देवी से भी रंजिश मान रहा था क्योंकि इन लोगों ने भी मुझे गाली–गलौज करके मुझे भगा दिया था। अंजली को मैं उस दिन बुलाने नहीं गया था जिस दिन झगड़ा हुआ था। बुलाने अंजली को मैं गया था। अंजली को इन लोगों ने मेरे साथ भेज दिया। मैं अंजली के घर घूमने चला गया था। तब अंजली के घर पर मेरा झगड़ा दुर्गेश, प्रवेश, छविनाथ के साथ हुआ था। जब यह लोग मुझे गाली–गलौज व झगड़ा कर रहे थे त ब मेरी पुत्री अंजली द्वारा प्रवेश व छविनाथ द्वारा रोका गया था लेकिन यह लोग नहीं माने। और अंजली को भी काफी भला बुरा कहा। और अंजली को मेरे साथ नहीं भेजा। और अंजली को इन लोगों ने गाली–गलौज किया डांटा फटकारा और मेरे साथ नहीं भेजा। यह बात उसे भी बुरी लगी। मैं अंजली को उसके घर छोड़कर चला आया। झगड़ा के कुछ समय बाद अंजली की मौत हो गयी।" वादी की इस साक्ष्य में उसने यह नहीं बताया कि झगड़ा अतिरिक्त दहेज के लिए हुआ था जबकि वादी अपनी साक्ष्य में स्पष्ट यह भी कह रहा है कि वह दुर्गेश से नाराज रहता था। आगे जिरह में वादी ने यह भी कहा है कि "मैं अकेला ही मौत की सूचना मिलने पर अंजली के घर गया। अंजली मुझे घर पर मिली। अंजली मुझे खतम मिली। मैंने वहीं से पुलिस को फोन द्वारा सूचना दी। फोन पर मैंने पुलिस वालों को बताया कि अंजली की मौत हो गयी। यह करीब सुबह आठ बजे के करीब पुलिस को फोन किया था। अंजली के घर से ही किया था। जैसे ही मैंने पुलिस थाना कम्पिल को फोन किया पुलिस वैसे ही आठ बजे के बाद आ गयी। <u>पुलिस घटना स्थल पर अंजली की लाश की देखभाल करती रही। उसके बाद पुलिस वालों ने मुझसे अंजली के घर पर कहा कि रिपोर्ट लिखो। यह भी कहा कि पाँच लोगों के नाम रिपोर्ट लिखी जाए। यह बात अंजली के घर पर ही हुई। जब अंजली के घर पर पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखने को मुझसे कहा तो उस समय मेरे साथ मेरे गाँव के आशाराम, रामप्रसाद और बहुत से लोग थे। सभी ने मिलकर सलाह मशविरा किया कि रिपोर्ट लिखाई जाए। राय मशविरा हुआ और फिर यह कहा गया कि रिपोर्ट लिखाई जाए। जहाँ अंजली की लाश रखी थी वहीं मैंने मुल्जिमों के नाम लिखे और फिर कहा कि मैं</u>

बोलता गया और सुरेश वर्मा लिखता गया। गवाही में मैंने चार पांच लोगों के नाम लिखाए थे और यह बात भी लिखाई थी कि मुझसे कुछ दिन पहले प्रवेश कुमार, दुर्गेश, मुन्नी देवी व छविनाथ मे झगड़ा किया था व गाली गलौज किया था व घर से भगा दिया था। यह बात रिपोर्ट में नहीं लिखी कि अंजली को बुलाने गया था और इन लोगों ने नहीं भेजा। यह बात लिखाई थी कि मैं पहले से नाराज रहता हूँ। और इस समय भी नाराज चल रहा हूँ। सीओ व तहसीलदार वहीं पर बैठे थे जहाँ मैं रिपोर्ट लिखवा रहा था। रिपोर्ट में यह बात नहीं लिखी थी कि जब मैं घटना स्थल पर आया तो अंजली फाँसी पर लटकी नहीं मिली। यह भी नहीं लिखाया था कि अंजली के मरने की सूचना प्रवेश द्वारा दी गयी हो कि वह फाँसी – लगाकर मर गयी है। मैंने अपनी रिपोर्ट में यह बात भी नहीं लिखाई थी कि उसकी मृत्यु से पूर्व उसके ससुरालीजन प्रवेश कुमार, छविनाथ, मुन्नी देवी व दुर्गेश व गीता कभी उससे दहेज मांगते रहे या दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे या उसको दहेज के लिए परेशान करते रहे। यह बात मैंने अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखायी और न ही इस संबंध में किसी अधिकारी को कोई प्रार्थनापत्र दिया न ही किसी अधिकारी से शिकायत की। मैंने अपनी रिपोर्ट में यह बात भी नहीं लिखाई थी कि मेरी पुत्री अंजली को उसके ससुराल वाले उससे दहेज न देने पर उसे प्रताड़ित करते हों। और यह भी नहीं लिखाया था कि अंजली ने इस संबंध में मुझसे कभी शिकायत की। और यह भी नहीं लिखाया था कि उसका कभी इन लोगों द्वारा कभी उत्पीड़न किया गया। यह तथ्य रिपोर्ट में नहीं लिखाए। क्यों नहीं लिखाए इसकी वजह नहीं बता सकता। इस घटना के पहले ही मेरे दामाद प्रवेश द्वारा शहर कम्पिल में साइकिल बिक्री की दुकान खोल रखी थी जिस पर रहकर वह साइकिल बेचने का काम करता था और घटना के समय भी कर रहा था। प्रवेश की यह साइकिल वाली दुकान अंजली की मौत के बहुत पहले से ही चला रहा था। और घटना के समय भी उसकी दुकान चल रही थी। पुत्री को उसके ससुराल वाले कभी मारते पीटते रहे या उसका उत्पीड़न करते रहे ऐसा मैंने कोई आरोप अभियुक्तगणों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं लिखा है। और न ही यह बात लिखी कि अंजली ने कभी उसके ससुराल वालों द्वारा उसके साथ उत्पीड़न किया गया या मारपीट की गयी। एवं उसके द्वारा फोन पर सूचना कभी नहीं दी गयी। यह बात मैंने अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखी। घटना के 20–25 दिन पहले अंजली को मेरा पुत्र उसकी ससुराल से बुलाकर लाया था। करीब 20–25 दिन हमारे यहाँ रुकी थी उसके बाद उसका पति प्रवेश उसकी विदा करा लाया। उसके बाद लगातार फिर अपनी ससुराल में ही रही। रिपोर्ट में मैंने यह बात लिखी थी कि अंजली को फाँसी लगाते हुए किसी व्यक्ति ने नहीं देखा। और रिपोर्ट में मैंने यह बात लिखाई थी कि अंजली को अपने कमरे में फाँसी लगाते हुए किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा और न ही मुझे बताया था।। यह रिपोर्ट मैंने सही व सत्य लिखायी है इस घटना के विषय में मुझे किसी ने आज तक नहीं

बताया। कैसे लिखा दिया इसकी वजह नहीं बता सकता। यह बात मैंने रिपोर्ट में लिखी थी कि अंजली के मरने के कितने साल पहले उसकी शादी की थी। चार साल पहले की थी यह बात मैंने रिपोर्ट में लिखी थी। यह कहना गलत होगा कि चार साल पहले शादी होने की बात रिपोर्ट में न लिखी हो और मैं आज न्यायालय में गलत बयान दे रहा हूँ। अंजली ने मुझे यह कभी नहीं बताया कि उसे किस तारीख व किस सन में अभियुक्तगण तंग करते हैं एवं दहेज मांगते हैं, इस कारण यह तथ्य मैंने रिपोर्ट में नहीं लिखाया था। सी०ओ व पुलिसवाले वहीं कम्पिल में मेरे सामने बैठे रहे और मैं उन्हीं के सामने रिपोर्ट लिखाता रहा और पुलिस वाले सीओ जो मैं रिपोर्ट लिखा रहा था वह सुनते रहे। मैंने सीओ, मौके पर मौजूद पुलिस को रिपोर्ट नहीं दी। जब वह घटना स्थल पर पुलिसवालों के सामने रिपोर्ट लिख रहा था उससे पहले ही सीओ द्वारा मौके पर आकर अंजली की लाश को सील कर दिया था। और पंचायतनामा की कार्यवाही हो चुकी थी। और मैंने रिपोर्ट लिखने के पहले पुलिसवालों ने पंचायतनामा पर दस्तखत कराए थे। पहले पंचायतनामा हुआ फिर रिपोर्ट लिखी गयी। मुझे यह ध्यान नहीं है कि अंजली के शव का पंचायतनामा मैंने ही बोलकर लिखवाया या सीओ ने बोलकर लिखवाया लेकिन रिपोर्ट लिखाने के पहले ही लिखा गया था। जहाँ पर पंचायतनामा लिखा गया वहाँ से थाना लगभग 500 मीटर पर है। पुलिसवाले घटनास्थल से अंजली का शव का लेकर चले गये मैं भी शव के साथ चले आये। फिर रिपोर्ट लिखायी। यह रिपोर्ट जो मैंने लिखाई थी वह मैंने एसओ को हाथ में दे दी थी। रिपोर्ट लिखने के पहले ही सीओ ने घटनास्थल पर ही मेरे बयान लिए फिर मेरी रिपोर्ट लिखी गयी। अगर सीओ ने यह बात लिखी है कि मेरा पुत्र अंजली को बुलाने गया और उसको ससुराल वालों ने नही भेजा इस कारण यह बात मुझे भी खराब लगी और मैं मुल्जिमों से नाराज हो गया यह बात सीओ ने बयान में सही लिखी या गलत मैं नहीं बता सकता। अगर सीओ ने मेरे बयान में यह लिखी है कि अंजली की शादी मौत होने के सात साल पहले हुई तो यह बात सही लिखी या गलत मैं नहीं बता सकता। मेरे बयान में अगर सीओ ने यह बात लिखी है कि छविनाथ का घर गाँव में ही है जिसमें केवल अंजली व दामाद प्रवेश रहते थे और एक घर मड़ैयानुमा खेत में बना है जिसमें छविनाथ, उनकी पत्नी दुर्गेश व गीता रहती थी। तो यह बात उन्होंने सही लिखी या गलत में नहीं बता सकता। यह भी कहना गलत होगा कि सीओ द्वारा मेरी द्वारा रिपोर्ट लिखने के पूर्व घटनास्थल पर ही मेरा बयान न लिया गया हो और उपरोक्त बयान मैं गलत देरहा हूँ। यह कहना सही है कि जहां लाश रखी थी पहले सी०ओ० ने मेरा बयान लिया फिर घटना के संबंध में रिपोर्ट लिखायी।......अरविन्द कुमार पुत्र श्रीराम, शशिकान्त पुत्र सोमनाथ, मुकेश पुत्र दुलारीलाल को मैं जानता हूँ। इनसे मेरा कोई संबंध नहीं रहा। मेरे सामने सीओ द्वारा इनके बयान नहीं लिए गये। अगर उन्होंने अपने बयान में सीओ को यह बात बताई है और सीओ द्वारा लिखा

गया है कि अंजली द्वारा नाराज होकर स्वयं कमरे में फाँसी लगाकर कमरा बंद करके आत्महत्या कर ली हो तो सीओ ने यह गलत लिखा है। विवेचनाधिकारी को मैंने घटनास्थल दिखाया हो यह कहना गलत होगा। और फिर कहा दिखाया। मेरे सामने नक्शा बनाया गया। यह ध्यान नहीं है कि उस कमरे का नक्शा बनाया कि नहीं जिसमें अंजली ने फाँसी लगाई थी। जिस कमरे में अंजली ने फाँसी लगाई थी उस कमरे में केवल एक दरवाजा पूरब की ओर है। जिस कमरे में अंजली ने फाँसी लगाई उसमें बेड पड़ा था। बेड के ऊपर पंखा नहीं लगा था। कुन्डा कोने में लगा था। कुन्डे में मकड़ी का जाला लगा था। यह कहना गलत होगा कि उस कमरे में छत पर लगे कुन्डे में फाँसी लगाने वाला दुपट्टा लटका हो। और पुलिस द्वारा बरामद किया गया हो। यदि पुलिस द्वारा कमरे से बरामद फाँसी लगाने वाला दुपट्टा बरामद किया जान दिखाया है तो गलत दिखाया है। अगर सीओ ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा कि पट्टी मदारी ने घटना के संबंध में पट्टी मदारी के सारे ग्रामवासियों को सत्यता के बारे में घूम घूम कर पता किया गया तो यह बात गलत लिखी है। अगर सीओ ने यह लिखा है कि उसे सारे ग्रामवासियों ने यह बताया कि छविनाथ सिंह गाँव में दो मकान हैं एक मकान में प्रवेश व अंजली रहते थे यह कहना गलत होगा कि मेरी पुत्री अंजली को मेरा पुत्र बुलाने गया हो। और प्रवेश व उसके घर वालों द्वारा न भेजा गया हो और अंजली भाई के साथ आना चाहती हो। और उसे न भेजा गया हो। इस कारण नाराज होकर जब वह घर में अकेली थी कमरा बन्द करके फाँसी लगा ली हो। यह भी कहना गलत है कि उसको कभी भी किसी द्वारा प्रताड़ित न किया गया हो।" वादी की सम्पूर्ण साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि मृतका की मृत्यु से ठीक पूर्व दहेज की मांग की गयी हो अथवा उसके साथ क्रूरता की गयी हो।

23— पी०डब्लू2 मृतका की माता गंगादेवी ने जिरह साक्ष्य में कहा है कि "राजी खुशी के माहौल में अंजली की विदा हुयी औरघर से गयी.........गौने के बाद अंजली पन्द्रह दिन तक अपनी ससुराल में रही। फिर मेरे पति व पुत्र उसकी ससुराल से बुला लाए। उसके बाद पति प्रवेश कुमार मेरे यहां बुलाने आया औरअंजली को बुलाकर ले गया.......शादी के बाद तीन साल तक अंजली अपनी ससुराल में रही। इस तीन साल के बीच मैंने किसी भी अधिकारी या पुलिस वालों से कोई शिकायत नहीं की न ही अंजली के ससुराल वालों के विरूद्ध कहीं कोई प्रार्थनापत्र दिया।........जब तक अंजली जीवित रही तब तक मेरे पति व पुत्र उसकी ससुराल आते जाते रहे। जब चाहा अंजली को उसकी ससुराल से बुला लाए औरजब चाहा उसको भेज दिया। अंजली अपनी इच्छा से जाती थी औरअपनी इच्छा से ससुराल जाती थी। अंजली की शादी मैंने जाकर तय नहीं की थी उसकी शादी मेरे पति द्वारा की गयी। शादी में जो सामान मैंने दिया वह इन लोगों ने नहीं लिया।" इस साक्षी की इस जिरह साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि अंजली जब तक जीवित रही

अपनी इच्छा से मायके एवं ससुराल आती जाती थी अर्थात उसको कोई रोकता टोकता नहीं था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अंजली जब तक जीवित रही उससे किसी प्रकार की दहेज की मांग नहीं की गयी एवं न ही क्रूरता की गयी। आगे जिरह में पी०डब्लू2 ने यह भी कथन किया है कि "शादी होने के तीन साल मैं अंजली की ससुराल गयी थी किस सन किस महीने में गयी यह मुझे नहीं मालूम। अंजली के घर मैं व मेरे साथ मेरी पुत्री पूनम केवल दो लोग गये थे। अंजली के घर हम दोनों रात भर रूके थे। सुबह हम लोग अंजली के घर से वापस चले आये।" इस साक्षी की इस साक्ष्य में कहीं पर यह तथ्य नहीं आया है कि उस समय जब वह अपनी पुत्री की ससुराल में रात भर रूकी तो किसी प्रकार के अतिरिक्त दहेज की मांग उससे की गयी हो। आगे जिरह में साक्षी ने यह भी कहा है कि अंजली जब भी शादी के बाद मेरे घर अपनी ससुराल से आती थी तो राजी खुशी से आती जाती थी। मेरे पुत्र उसे उसकी ससुराल से बुला लाते थे औरउसका प्रति प्रवेश कुमार उसको राजी खुशी से विदा करा ले जाता था। अंजली की शादी होने के बाद लगातार अपनी ससुराल में रही औरआती जाती रही।.......... दुर्गेश की शादी होने के पश्चात अंजली हमारे घर पर भी आकर रहती थी औरअपनी ससुराल में भी रहती थी। अंजली की शादी के बाद उसके मरने तक उसके ससुराल वाले उसे तंग करते हैं ऐसी कोई शिकायत न किसी थाने में की न ही किसी अधिकारी से न कहीं रिपोर्ट लिखायी केवल छविनाथ से शिकायत की थी।......छविनाथ से जो बात हुयी और छविनाथ ने जो उत्तर दिया उसके खिलाफ मैंने कोई भी शिकायत न थाने में की न किसी अधिकारी से की वास्तव में मैंने यह शिकायत किसी से की ही नहीं।" इस साक्षी की साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब उसकी पुत्री राजी खुशी ससुराल से मायके आती थी एवं मायके से उसका पति प्रवेश कुमार राजी खुशी बुला ले जाता था तो अतिरिक्त दहेज कब मांगा गया एवं कब उसको प्रताड़ित किया गया। यदि दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था तो कहीं कोई शिकायत नहीं की गयी एवं न ही किसी प्रकार की पंचायत की बात की गयी। आगे जिरह में यह भी गंगा देवी कहा है कि "अगर तहसीलदार ने पंचायतनामा में राय में यह लिखा है कि फांसी लगाकर मरी है तो सही लिखा है अगर डाक्टर ने जिसने पोस्टमार्टम किया है उसने अपने बयान में लिखा है कि अंजली की मृत्यु फांसी लगाकर मरी है तो सही लिखायी है। यदि मेरे पति राजवीर ने यह बात कही है कि अंजली की फांसी लगने से हुयी है तो यह सही है। पिछली तारीख पर जो मैंने बयान दिया है वह अपने विवेक से दिया है।" इस प्रकार इस साक्षी की जिरह साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि मृतका को मृत्यु से ठीक पूर्व दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया हो अथवा उससे दहेज की मांग की गयी हो अथवा इसके लिए उससे क्रूरता की गयी हो।

24– पी०डब्लू3 हेड कानि० पुलिस विमलेश सिंह ने साक्ष्य में इस प्रकरण की

प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं जी०डी० को साबित किया है। पी०डब्लू4 डा० सोमेश अग्निहोत्री ने मृतका का पोस्टमार्टम किया है एवं उसके गले में 22x2 सेमी का लिगेचर मार्क पाया है जो एक सीध में नहीं था। इसके अतिरिक्त किसी अन्य चोट को नहीं पाया गया है एवं मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व हैंगिंग बताया है। पी०डब्लू5 प्रदीप कुमार सिंह ने मृतका का पंचायतनामा किता कराया है एवं उसके साथ के प्रपत्रों को साबित किया है। पी०डब्लू6 राजवीर सिंह गौर इस मामले के विवेचक हैं जिन्होंने कृत विवेचना का वर्णन अपने साक्ष्य में किया है। इस मामले में बचाव पक्ष की तरफ से डी०डब्लू1 शशिकान्त को परीक्षित कराया गया है जिसने मुख्य परीक्षा में ही कहा है कि उसका मकान प्रवेश के मकान से लगभग पचास मीटर की दूरी पर है तथा प्रवेश व उसके पिता छविनाथ व माता मुन्नी देवी निहायत ही सीधे सादे व्यक्ति हैं। उन्होंने कभी भी अंजली को दहेज के कारण प्रताड़ित नहीं किया न ही शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न किया। चूंकि अंजली गर्भवती थी इसलिए उसको मायके नहीं भेजा जिसके कारण अंजली ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह भी कहा गया है कि प्रवेश के माता पिता अपने छोटे बेटे दुर्गेश व उसकी पत्नी गीता के साथ निवास करते हैं औरपड़ोस में रहते हुए उसने कभी भी अंजली व प्रवेश के मध्य लड़ाई झगड़े को नहीं सुना है। इसी प्रकार डी०डब्लू2 ने भी कहा है कि उसका मकान प्रवेश के मकान के सामने है तथा उसका प्रवेश के घर पर निरन्तर आना जाना रहता है उसने भी अंजली से किसी प्रकार के दहेज की मांग करना या इस हेतु मारपीट कर प्रताड़ित किये जाने से इन्कार किया है। चूंकि यह साक्षी अभियुक्त प्रवेश के मकान के ठीक सामने रहने का कथन कर रहा है इसलिए इसकी साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। दूसरे अभियुक्त प्रवेश ने अपने बयान धारा 313 दं०प्र०सं० में भी यही बचाव लिया है कि गर्भवती होने के कारण अंजली को मायके न भेजने के कारण अंजली ने स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वैसे भी तथ्य के दोनों साक्षियों की साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि मृतका को मृत्यु से ठीक पूर्व दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया हो अथवा उसके साथ क्रूरता की गयी हो अथवा दहेज की मांग की गयी हो। वादी ने तहरीर में यह लिखाया है कि दुकान रखने के लिए अभियुक्त प्रवेश ने एक लाख रूपये की मांग की थी किन्तु जिरह साक्ष्य में वादी यह स्वीकार कर रहा है कि अभियुक्त प्रवेश की साइकिल वाली दुकान अंजली की मौत के बहुत पहले से ही चला रहा था। प्रवेश साइकिल बेचने का काम करता था एवं घटना से पूर्व एवं घटना के समय भी यही साइकिल बिक्री का कार्य कर रहा था। इसलिए जब पहले ही अभियुक्त प्रवेश साइकिल की दुकान कर रहा था तो दुकान करने के लिए एक लाख रूपये की मांग किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता। यहां तक कि वादी ने जिरह में यह भी कह दिया कि "जब उसके दामाद प्रवेश ने अंजली की मौत की सूचना दी तो उसने सर्वप्रथम अरविन्द कुमार पुत्र कप्तान सिंह तथा एक अपने गांव का

लड़का को सात बजे के बाद लड़की की ससुराल भेजा यह जानकारी करने के लिए अंजली के घर भेजा कि वास्तव में अंजली की मौत हुयी है या नहीं हुयी है अगर हुयी है तो किस कारण हुयी है ये दोनों मोटरसाइकिल से गये थे..........इन दोनों द्वारा अंजली की मौत की सूचना देने पर मैं अपने गांव से ट्रैक्टर व मोटरसाइकिलों से गांव वालों को लेकर घटना स्थल पर पहुँचे।............. जब मैं वहां पहुँचा तो पुलिस थाना कम्पिल वहां पहले से मौजूद नहीं थी.........सी०ओ० साहब ने मुझे जिस बेड पर अंजली पड़ी मिली उस बेड पर मुझे चढ़ाया इसी बीच किसी ने सी०ओ० को यह सूचना दी कि अंजली ने इसी बेड पर चढ़कर कुण्डे में फांसी लगायी है।" वादी का उपरोक्त साक्ष्य अत्यन्त आश्चर्यजनक है कि उसको अपनी पुत्री के मरने की खबर मिली तब भी उसने स्वयं पहले न जाकर दूसरे लोगों को पुत्री की ससुराल वास्तविकता जानने हेतु भेजा कि मौत हुयी है अथवा नहीं। आगे जिरह में वादी ने अपनी साक्ष्य में महत्वपूर्ण सुधार (significant improvement)करते हुए आश्चर्यजनक रूप से यह भी कहा है कि "अगर पोस्टमार्टम में डाक्टर द्वारा अंजली की मौत का कारण फांसी लगने के कारण लिखा है तो गलत लिखा है बल्कि फावड़ा के बेंत से दबा देने के कारण उसकी मौत हुयी थी क्योंकि फावड़ा का बेंत शव के पास पड़ा हुआ मैंने पाया था इसी फावड़ा के बेंत से अंजली की मौत हुयी। जो मैंने उपर बयान दिया है कि अंजली की मौत फावड़ा के बेंत से गला दबा देने से हुयी है यह बात मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखी है।" वादी ने बिल्कुल नया तथ्य अपनी साक्ष्य में प्रस्तुत कर दिया है जिसकी न तो विवेचक को खबर हुयी न ही विवेचना में फावड़ा के बेंत का कोई उल्लेख है बल्कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी फांसी लगने का कारण लिगेचर मार्क अंकित किया गया है। यदि वास्तव में बेंत से गला दबाकर मृत्यु कारित की जाती तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अवश्य उल्लिखित होता। इस प्रकार वादी की साक्ष्य पूरी तरह से काल्पनिक होना स्पष्ट होता है।

25— **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील सं० 1076/2014 करन सिंह बनाम स्टेट आफ हरियाणा होम डिपार्टमेंट निर्णीत दिनांकित 31.01.2025 एवं क्रिमिनल अपील सं० 447/2012 चरन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य निर्णीत दिनांकित 20.04.2023** के मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 304B के अन्तर्गत दहेज मृत्यु के आवश्यक तत्वों में से एक तत्व यह है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका की मृत्यु के ठीक पूर्व उसके साथ दहेज की मांग को लेकर क्रूरता की गयी हो और जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा सन्देह से परे साबित किया जाना चाहिए तत्पश्चात भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B के तहत यह उपधारणा की जायेगी कि अभियुक्तगण द्वारा दहेज मृत्यु कारित की गयी है। प्रस्तुत मामले में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं साक्ष्यों के किये गये उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अभियोजन साक्ष्य से दहेज की मांग को लेकर अभियुक्तगण द्वारा मृतका के प्रति क्रूरता अथवा उसका उत्पीड़न किया गया हो, सन्देह से

परे साबित नहीं होता है बल्कि अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि मृतका का लगाव व झुकाव मायका पक्ष से अधिक था और वह अपनी इच्छा से मायके से ससुराल व ससुराल से मायके आती जाती थी तथा ससुराल की अपेक्षा मायके में अधिकतर समय व्यतीत करती थी। वादी व उसका पुत्र समय समय पर उसको लाते ले जाते थे किन्तु मृतका के गर्भवती होने पर अभियुक्तगण द्वारा उसे मायके जाने से रोका गया जिस पर वादी व अभियुक्तगण के मध्य कहासुनी व नाराजगी हुयी जो स्वयं वादी ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है और संभवतः मायके भेजने से इन्कार पर मृतका द्वारा आत्महत्या की गयी और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने साथ उसने अबोध अजन्मे शिशु की भी जीवनलीला समाप्त कर दी।

26– धारा 304B के विकल्प में धारा 302 भा०दं०सं० का आरोप भी अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित किया गया है। अब यह देखा जाना है कि क्या मृतका की हत्या की गयी। इस संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही यह तथ्य निकल कर आया है कि मृतका के गले में लिगेचर मार्क नान कन्टीन्यूवस था जो कि स्वयं फांसी लगाने के फलस्वरूप ही आ सकता है न कि गला दबाकर या किसी अन्य तरीके से हत्या कर फांसी पर लटकाने से। दूसरे पंचायतनामा प्रदर्श क–5 में जिसमें वादी स्वयं पंच नियुक्त किया गया है, में पंचों ने राय दी है कि मृतका की मृत्यु गले में फांसी का फन्दा लगाकर व अन्य कारण से भी मृत्यु हो सकती है। पंचायतनामा किता होते समय वादी को यदि सन्देह भी होता कि मृतका की हत्या अभियुक्तगण द्वारा की गयी है तो वह राय पंचान में अपनी अलग राय दे सकता था कि अंजली की हत्या करके उसके शव को फांसी पर लटकाया जाना प्रतीत होता है। हत्या किये जाने संबंधी किसी हथियार की भी बरामदगी विवेचक द्वारा नहीं की गयी है एवं न ही विष देने का कोई साक्ष्य है एवं यदि विष दे कर भी हत्या की गयी होती तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका खुलासा हो सकता था। बल्कि तथ्य के दोनों साक्षियों ने इसी तथ्य पर साक्ष्य दिया है कि यह दहेज हत्या है जो कि उपरोक्त विवेचन से साबित नहीं हो सका है। जो वादी ने फावड़ा के बेंत से गला दबाने का आश्चर्यजनक साक्ष्य दिया है एवं कहा है कि उसने इस तथ्य को तहरीर में भी लिखाया था तो वास्तव में तहरीर में यह तथ्य अंकित नहीं किया गया है एवं न ही कथित फावड़ा की बेंत विवेचक ने कब्जा पुलिस में लिया है एवं न ही न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इसलिए यह नहीं साबित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका अंजली की हत्या की गयी है।

27– उपरोक्त समस्त विवेचन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियुक्तगण प्रवेश कुमार, छविनाथ एवं मुन्नी देवी पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 304B वैकल्पिक आरोप धारा 302, 498A भा०दं०सं० एवं धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम सन्देह के परे साबित नहीं होते हैं तथा हत्या किये जाने का आरोप भी साबित

नहीं है अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त होने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण प्रवेश कुमार, छविनाथ एवं मुन्नी देवी को आरोप अन्तर्गत धारा 304B वैकल्पिक आरोप धारा 302, 498A भा०दं०सं० एवं ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर न्यायालय में उपस्थित हैं। उनके बन्धपत्र व प्रतिभूपत्र निरस्त किये जाते हैं।

अभियुक्तगण द्वारा धारा 437A दं०प्र०सं० के अनुपालन में दाखिल बंधपत्र छह माह की अवधि तक के लिए प्रभावी रहेगें। इस मामले में भौतिक प्रदर्श यदि कोई हों तो बाद बीतने मियाद अपील नियमानुसार विनष्ट किये जायें।

दिनांकः01.07.2026

(नीरज कुमार)
सत्र न्यायाधीश
फर्रूखाबाद। **ID No.U.P1907**

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः01.07.2026

(नीरज कुमार)
सत्र न्यायाधीश
फर्रूखाबाद। **ID No.U.P1907**